न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 137/16 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. सरवण देवी पत्नि स्व0 दयाराम जाति अहीर
2. धर्मवीर पुत्र स्व0 दयाराम जाति अहीर
3. महावीर पुत्र स्व0 दयाराम जाति अहीर
4. लालसिंह पुत्र स्व0 दयाराम जाति अहीर
5. सुमेश पुत्री स्व0 दयाराम जाति अहीर
6. बाला पत्नी स्व0 सत्यवीर पुत्रवधु स्व0 दयाराम जाति अहीर
7. सुनिल पुत्र स्ब0 सत्यवीर पौत्र स्व0 दयाराम जाति अहीर
8. सरमीना पुत्री स्व0 सत्यवीर पौत्री स्व0 दयाराम जाति अहीर
9. नीलम पुत्री स्व0 सत्यवीर पौत्री स्व0 दयाराम जाति अहीर
10. सोनू पुत्री स्व0 सत्यवीर पौत्री स्व0 दयाराम जाति अहीर

निवासीयान राईखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर

11. सुरेश पुत्र स्व0 रमेश पौत्र स्व0 पतराम जाति अहीर निवासी शाहबाद तहसील तिजारा जिला अलवर

:———— अपीलांटस

बनाम

1 भगवान सिंह पुत्र झम्मन जाति अहीर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2 ताराचन्द पुत्र झम्मन जाति अहीर
3 रूपचन्द पुत्र झम्मन जाति अहीर निवासीयान राईखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान
4 चन्दो पुत्री झम्मन पत्नि जयदयाल जाति अहीर निवासीयान ग्राम लोहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान
5 महेन्द्रसिंह पुत्र जीवना जाति अहीर
6 बनेसिंह पुत्र जीवना जाति अहीर
7 हरिशचन्द पुत्र जीवना जाति अहीर निवासीयान राईखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान
8 रामपाल पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर
9 रामकरण पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर
10 मंगल पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर
11 शीशराम पुत्र इन्द्राज जाति अहीर
12 होशियार पुत्र इन्द्राज जाति अहीर
13 भूराराम पुत्र इन्द्राज जाति अहीर
14 सोहन पुत्र छीतर जाति अहीर
15 मितरू पुत्र छीतर जाति अहीर
16 पृथ्वी पुत्र स्व0 उमराव जाति अहीर
17 शान्ती पत्नी स्व0 उमराव जाति अहीर
18 गुड्डू पुत्र इमरती व बंशी जाति अहीर
19 हरिशंकर पुत्र इमरती व बंशी जाति अहीर
20 राजेश पुत्र इमरती व बंशी जाति अहीर निवासीयान राईखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:——— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,
तिजारा दिनांक 16.9.2016

———————————————————

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांटस :— श्री देवेन्द्र कुमार जैन

2. वकील रेस्पो0सं0 1ला07 श्री विशम्भर दयाल गुप्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 24.9.2021

1 यह अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 165/2004 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 16.9.2016, जिसके द्वारा वादीगण का उक्त वाद पत्र डिक्री किया गया है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत अदालत में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के तहत वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 678/0–12, 679/0–5, 707/0–5, 708/0–5, 717/0–7, 719/0–2, 731/0–16, 735/0–2, 741/0–5, 787/0–3, 807/1–14, 808/1–14, 936/0–5, 937/0–7, 938/0–14, 943/0–19, 944/0–7, 945/0–12, 955/0–7, 956/0–15, 957/0–8, 958/0–9, 999/0–4, 1000/0–5, 1001/0–3, 1002/0–2, 1003/1–1, 1004/0–5, 1005/0–10, 1014/0–5, 809/0–15, 810/0–15, 829/0–18, 709/0–11, 830/0–19, 832/0–12, 833/0–13, 834/0–16, 835/0–11, 836/0–14, 854/2–8, 865/1–5, 868/0–13, 869/2–5, 895/0–12, 896/0–10, 897/1–3, 900/0–14, 910/0–1, 911/1–00, 912/0–13, 913/1–13, 914/2–00, 1015/0–11, 1019/0–9, 1020/0–8, 1039/0–14, 1040/0–5, 1041/0–8, 1065/0–12, 1067/0–3, 1068/0–4, 1069/0–4, 1072/0–7, 1096/0–2, 1097/0–1, 1098/5–1 किता 72 रकबा 48 बीघा 7 बिस्वा ,खाता संख्या 151 जमाबन्दी सम्वत 2054 वाके ग्राम राईखेडा तहसील तिजारा वाद पत्र में विवादित है । उक्त विवादित आराजीयात का 1/2 भाग मृतक हेतराम की खातेदारी की थी । हेतराम के 4 पुत्र जुगला, बेगला, झम्मन, नोन्दा थे । नोन्दा लावल्द बिला औलाद फोत हो गया । इसलिये हेतराम की आराजीयात में तीनों पुत्रों बेगला, झम्मन व जुगला का 1/2 भाग में से 1/3, 1/3, 1/3 अर्थात 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा निहित हो गया। उन तीनों का देहान्त हो चुका है । झम्मन के वारिसान वादीगण संख्या 1 ला 4 अपने 1/6 भाग पर, बेगला के वारिसान वादीगण 5 ला0 7 अपने 1/6 भाग पर तथा बन्शी के वारिसान ने अपना 1/6 भाग

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

प्रतिवादीगण को बेच दिया और उक्त 1/6 भाग पर प्रतिवादीगण काबिज है । नोन्दा की विरासत का नामान्तकरण संख्या 56 जब दर्ज व स्वीकार हुआ तो सही तौर पर इन्द्राज हुआ जो इस प्रकार है ---- बन्शी पुत्र जुगला, जीवन पुत्र बेगला, भगवान, ताराचन्द रूपचन्द पुत्रान झम्मन । इनके नाम विरासत का इन्तकाल उपरोक्तानुसार सही तौर पर स्वीकार हुआ था । परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2029 में इस प्रकार अमल कर दिया गया ---- बन्शी पुत्र जुगला, नोन्दा, झम्मन, जीवन पुत्र बेगला । बंदोबस्त विभाग द्वारा जो इन्द्राज उपरोक्तानुसार किया गया था, वो गलत है । उक्त इन्द्राज से आराजी के कुल हिस्से ही बदल गये । इसलिये वादीगण संख्या 1 ला0 4 विवादित आराजी के 1/6 भाग व वादीगण संख्या 5 ला0 7 विवादित आराजी के 1/6 भाग व शेष 1/6 भाग प्रतिवादीगण का इन्द्राज कराने के अधिकारी है । वादीगण विवादित आराजी के अपने 1/6, 1/6 भागपर शांतिपूर्वक काबिज है, कोई विवाद नहीं है । प्रतिवादीगण अपने 1/6 भाग पर काबिज है तथा जो शेष 1/2 भाग मूलिया वगैरा का है, उस पर वे काबिज है । मूलिया वगैरा के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा है, इसलिये उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है । शेष आराजी के इन्द्राज सही प्रकार से किये गये हैं, जिससे भी इस गलत अमल को दुरूस्त कराया जाना न्यायसंगत है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 16.9.2016 के द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया था, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ला0 1/6/5 ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि पतराम पुत्र भीवा, इमरती पुत्री बंशी, गजराज पुत्र उमराव को देहान्त हो चुका था । अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्तियों के खिलाफ पारित किया गया है । मृत व्यक्तियों के खिलाफ पारित किया गया निर्णय विधिमान्य नहीं है, जैसा कि 1989 आर0 आर0 डी0 पेज 667, 2016 आर0 आर0 डी0 पेज 565 में अभिनिर्धारित किया गया है । वादी रेस्पो0 ने सभी सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे वाद पत्र चलने योग्य नहीं था, जैसा कि 2019 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 954–955, ए0 आई0 आर0 2018 राजस्थान पेज 156–157 व 2018 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1052 में अभिनिर्धारित किया गया है । तहत अदालत में कुल 72 खसरा नम्बरों के सम्बन्ध में वाद पत्र पेश किया गया था, परन्तु निर्णय केवल 68 खसरा नम्बरों के ही सम्बन्ध में पारित किया गया है । इसलिये भी तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय इन्तकाल नम्बर 56 दिनांक 3.6.1981 ग्राम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

राईखेडा को आधार मानकर पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि इन्तकाल की कार्यवाही वित्तीय कार्यवाही होती है, जिसके आधार पर अधिकार तय नहीं होते हैं, जैसा कि 2019 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1125–1126, 2014–15 आर0 आर0 टी0 (सप्लीमेंटरी) पेज 459 में अभिनिर्धारित किया है । तहत अदालत ने ना तो तनकी वनाई और ना ही तनकीवार निर्णय पारित किया । इसलिये भी तहत अदालत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है, जैसा कि 2019(2) आर0 आर0 टी0 पेज 961 व 2011 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 763 में प्रतिपादित किया गया है । रेस्पो0 वादी ने बंदोबस्त सम्वत 2029 के इन्दाज को गलत बताकर वाद पत्र पेश किया था। इन्तकाल साल 1981 में दर्ज हुआ था और सम्वत 2029 का सन 1972 होता है । इस प्रकार इतकाल नम्बर 56 काफी देरी से अर्थात 9 साल बाद स्वीकार हुआ है । वादी रेस्पो0 को अपना वाद पत्र सिद्ध करने के लिये सम्वत 2029 से पूर्व के समस्त रेकार्ड पेश करने चाहिये थे । उक्त इंतकाल नम्बर 56 दिनांक 3.6.81 ग्राम राईखेडा तहसील तिजारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में नहीं था । इंतकाल नम्बर 56 विधि विरूद्ध स्वीकार हुआ है । यही कारण है कि उक्त इंतकाल का जमाबन्दी में अमल नहीं हुआ । विवादित आराजी में बंशी पुत्र जुगला का 1/2 हिस्सा था । उसने अपना हिस्सा हम अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 8 ला0 15 को विक्रय कर दिया । विक्रय पत्र दिनांक 26.4.1969 से ही हम अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 8 ला0 15 का कब्जा बंदस्तूर चला आ रहा है । रेस्पों0 संख्या 01 ला0 7 तथा 16 ला0 20 का विवादित आराजी पर ना तो कब्जा था और ना ही कोई सम्बन्ध है । तहत न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 16 ला0 20 के द्वारा ना तो कोई काउण्टर क्लेम पेश किया गया था और ना ही कोई जवाब दावा पेश किया गया था, परन्तु फिर भी तहत अदालत ने रेस्पो0 संख्या 16 ला0 20 के पक्ष में डिक्री पारित कर दी । जबकि बंशी पुत्र जुगला अपने जीवन काल में ही विवादित आराजी को अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 8 ला0 15 को बेच चुके थे । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल नम्बर 502 क्रेताओं के पक्ष में दिनांक 6.8.2001 को स्वीकार हो चुका है । जिस विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए दीवानी न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 11 ला0 15 ने हमारे खिलाफ वाद पत्र पेश किया था, जो दावा खारिज हो चुका है । अपीलांट नम्बर 11 के पडदादा पेतराम पुत्र भीवा ने विवादित आराजी में से अपना हिस्सा लालमन, हीरालाल पुत्रान जगराम को विक्रय कर दिया था, जिसका इन्तकाल भी क्रेतागण के नाम स्वीकार हो चुका है । लालमन व हीरालाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

का देहान्त हो चुका है, परन्तु उनके वारिसान को वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है । बेगला व नोन्दा पुत्रान हेतराम लाऔलाद फौत हुये हैं । रेस्पो0 वादी ने रजिस्टर्ड गोदनामा पेश नहीं किया है । केवल जमावन्दी सम्वत 2023 में जीवनदारा को बेगला के गोद जाना बताया है । अपीलांट ने इन्तकाल नम्बर 39 पेश किया है कि जीवन को बेगला ने गिफ्ट डीड के द्वारा अपनी आराजी हस्तांतरित की है, जिसमें जीवन को झम्मन का पुत्र बताया है । जिससे यह सिद्ध है कि जीवन बेगला के गोद नहीं गया था, वह तो झम्मन का पुत्र है । इन्तकाल नम्बर 56 में हेतराम के सजरे में जीवनराम को बेगला का पुत्र गलत तौर पर बताया गया है । इन्तकाल नम्बर 36 में भी बेगला का कोई लडका नहीं बताया गया है । वह विद्वान वकील अपीलांट ने अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में ए0 आई0 आर0 2009 राजस्थान पेज 122 का हवाला दिया और निवेदन किया कि तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । लिहाजा अपील स्वीकार की जावे ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित आराजी का 1/2 भाग का खातेदार हेतराम था । हेतराम का देहान्त हो चुका है । उनके वारिसान जुगला, बेगला, झम्मन व नोन्दा है । नोन्दा लावल्द फौत हो गया । इसलिये हेतराम के वारिसान जुगला, बेगला, झम्मन में हेतराम का हिस्सा निहित हो गया । अर्थात हेतराम के 1/2 भाग में से जुगला में 1/3 भाग, बेगला में 1/3 भाग व झम्मन में 1/3 भाग निहित हो गया । जुगला के वारिसान बंशी व उसके वारिसान द्वारा उक्त 1/2 भाग में से 1/3 भाग अर्थात 1/6 भाग का बेचान प्रतिवादीगण को कर दिया गया । परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2029 में बंशी पुत्र जुगला, नोन्दा, झम्मन, जीवन पुत्र बेगला का नाम गलत तौर पर दर्ज कर दिया । इस गलत इन्द्राज के कारण विवादित आराजी कुल हिस्से ही बदल गये । बंदोबस्त विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है । अपीलांटस ने यह नहीं बताया है कि भूमि इनके नाम कैसे आई । झम्मन का बेटा जीवनराम था, जो बेगला के गोद चला गया था । इन्तकाल नम्बर 36 के बाद इन्तकाल नम्बर 56 इसलिये खोला गया था कि 2033 की जमाबन्दी में नोन्दा का नाम फिर से आ गया । बंशी का विवादित आराजी में मात्र 1/6 हिस्सा था, परन्तु उसने अपने हिस्से से ज्यादा 5/18 का बेचान कर दिया । तहत अदालत ने कुल 68 खसरा नम्बरान की बाबत निर्णय पारित नहीं किया है, बल्कि कुल 72 खसरा नम्बरान की बाबत निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

पारित किया है और हमने कुल 72 खसरा नम्बरान की बावत ही वाद पत्र पेश किया था । इनका यह कहना गलत है कि जमाबन्दी से विवादित खसरा नम्बरान मेल नहीं खाते है । श्रीमान जी, जमाबन्दी सम्वत 2054 का अवलोकन फरमावें । इसमें दर्ज खसरा नम्बरान वाद पत्र व निर्णय में अंकित खसरा नम्बरान से मेल खाते हैं । जहां तक अपीलांट के इस कथन का प्रश्न है कि तनकीबार निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब पत्रावली पर सम्पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हो तो प्रकरण रिमांड नहीं किया जाना चाहिये, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने आर0 एल0 डब्ल्यू0 1999 (3) एस0 सी0 पेज 394 में अभिनिर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त विद्वान वकील ने अपनी बहस के समर्थन में 2011 (3) डी0 एन0 जे0 राजस्थान पेज 1483 का हवाला दिया और अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । जमाबन्दी खतौनी प्रदर्श–1 में विवादित भूमि पर पतराम, लालसिंह वगैरा मजकूर का अंकन है । इसी प्रकार का अंकन जमाबन्दी सम्वत 2054 में भी है । जमाबन्दी सम्वत 2033 में बंशी पुत्र जुगला, नोन्दा, झम्मन, जीवन पुत्रान बेगला समभाग 1/2, बादामी बेवा तेजा, मफसर व सुपुर्दगी मूलिया, जयनारायण, कालिया पिसरान मंगलिया समभाग 1/3, मेहराम, जीवलिया पिसरान श्योसहाय मु0 बदामी बेवा रामसिंह समभाग 1/3 दर हिस्सा 1/2 खातेदार का अंकन है । इस जमाबन्दी में नोंदा की विरासत का इंतकाल नम्बर 56, बादामी की विरासत का इन्तकाल नम्बर 57 व 58, झम्मन की विरासत का इन्तकाल नम्बर 25, जीवना की विरासत का इन्तकाल नम्बर 89 तथा जीवला द्वारा कराया गया बयनामा का इंतकाल नम्बर 90 दर्ज किये जाने का नोट लाल स्याही से अंकित है । इन्तकाल नम्बर 56 द्वारा नोन्दा की विरासत बंशी पुत्र जुगला, जीवन पुत्र बेगला, भगवाना, ताराचन्द, रूपचन्द पिसरान झम्मन समभाग 1/8 दर 1/2 के नाम दर्ज हुई है । इस इन्तकाल की पुश्त पर सजरा बनाया हुआ है और नोन्दा को लावल्द फौत होना बताया गया है ।

6 पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह सिद्ध है कि हेतराम के 4 लडके थे ––– जुगला, बेगला, झम्मन एवं नोंदा । विवादित भूमि में हेतराम का 1/2 भाग था । हेतराम के बाद उसके वारिसान उसके चारों लडकों को हेतराम की भूमि 1/2 भाग में से 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 अर्थात 1/8,1/8, 1/8, 1/8 भाग की भूमि प्राप्त हुई । नोंदा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

लावल्द फौत होने के वाद उसके हिस्से की भूमि भी नोंदा के भाईयों जुगला, वेगला, झम्मन को सामान सामान भाग में विरासत के रूप में प्राप्त हुई । इनके नाम विरासत का इंतकाल नम्बर 56 भी स्वीकार हो गया था । इस प्रकार अव विवादित भूमि में हेतराम के हिस्से 1/2 में से इन तीनों भाईयों को 1/3,1/3, 1/3 अर्थात प्रत्येक को कुल हिस्सा 1/6, 1/6, 1/6 प्राप्त हुआ । परन्तु वंदोवस्त सम्वत 2029 में उपरोक्तानुसार हिस्से दर्ज नहीं किये गये । वादी रेस्पो0 उपरोक्त हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कराने के अधिकारी है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम तहत न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.9.2016 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते है । लिहाजा अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.9.2016 यथावत रखे जाते हैं ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी – अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या – 137/16 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान –

1. सरवण देवी पत्नि स्व0 दयाराम जाति अहीर
2. धर्मवीर पुत्र स्व0 दयाराम जाति अहीर
3. महावीर पुत्र स्व0 दयाराम जाति अहीर
4. लालसिंह पुत्र स्व0 दयाराम जाति अहीर
5. सुमेश पुत्री स्व0 दयाराम जाति अहीर
6. वाला पत्नी स्व0 सत्यवीर पुत्रवधु स्व0 दयाराम जाति अहीर
7. सुनिल पुत्र स्व0 सत्यवीर पौत्र स्व0 दयाराम जाति अहीर
8. सरमीना पुत्री स्व0 सत्यवीर पौत्री स्व0 दयाराम जाति अहीर
9. नीलम पुत्री स्व0 सत्यवीर पौत्री स्व0 दयाराम जाति अहीर
10. सोनू पुत्री स्व0 सत्यवीर पौत्री स्व0 दयाराम जाति अहीर

निवासीयान राईखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर

11. सुरेश पुत्र स्व0 रमेश पौत्र स्व0 पतराम जाति अहीर निवासी

शाहबाद तहसील तिजारा जिला अलवर

:——— अपीलांटस

बनाम

1 भगवान सिंह पुत्र झम्मन जाति अहीर
2 ताराचन्द पुत्र झम्मन जाति अहीर
3 रूपचन्द पुत्र झम्मन जाति अहीर निवासीयान राईखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान
4 चन्दो पुत्री झम्मन पत्नि जयदयाल जाति अहीर निवासीयान ग्राम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

लोहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

5 महेन्द्रसिंह पुत्र जीवना जाति अहीर

6 बनेसिंह पुत्र जीवना जाति अहीर

7 हरिशचन्द पुत्र जीवना जाति अहीर निवासीयान राईखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

8 रामपाल पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर

9 रामकरण पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर

10 गंगल पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर

11 शीशराम पुत्र इन्द्राज जाति अहीर

12 होशियार पुत्र इन्द्राज जाति अहीर

13 भूराराम पुत्र इन्द्राज जाति अहीर

14 सोहन पुत्र छीतर जाति अहीर

15 गितरू पुत्र छीतर जाति अहीर

16 पृथ्वी पुत्र स्व0 उमराव जाति अहीर

17 शान्ती पत्नी स्व0 उमराव जाति अहीर

18 गुड्डू पुत्र इगरती व बंशी जाति अहीर

19 हरिशंकर पुत्र इमरती व बंशी जाति अहीर

20 राजेश पुत्र इगरती व बंशी जाति अहीर निवासीयान राईखेडा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:------ रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, तिजारा दिनांक 16.9.2016

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांटस :- श्री देवेन्द्र कुमार जैन

2. वकील रेस्पो0सं0 1ला07 :- श्री विशम्भर दयाल गुप्ता

पर्चा डिक्री दिनांक 24.9.2021

अपील अपीलांटस खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.9.2016 यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर